UPAU010043352025

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, औरैया

उपस्थितः–पारूल जैन, (उच्चतर न्यायिक सेवा) J.O. Code UP–2391

दण्ड प्रकीर्ण संख्या 392/2025

राज्य **बनाम** **अहिवरन सिंह**

धारा–344 सीआर.पी.सी./383 बी.एन.एस.एस.
थाना–अजीतमल जिला–औरैया

दिनांकः–09.05.2026

1. आज यह पत्रावली लोक अदालत में प्रस्तुत हुई। प्रस्तुत प्रकरण **अहिवरन सिंह पुत्र भारत सिंह** के विरूद्ध धारा 344 दं0 प्र 0 सं0/383 बी.एन.एस.एस. के अधीन संस्थित किया गया है, क्योकि सत्र विचारण संख्या 488/2023 राज्य बनाम मचकुन्द गुर्जर उर्फ गौरव आदि मुकदमा अपराध संख्या 553/2021 धारा 498 ए, 304 बी भा.दं.सं. व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं धारा 302 भा.दं.सं. थाना अजीतमल जनपद औरैया के मामले में बतौर क्रमशः अभियोजन साक्षी संख्या 1 मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत किया है।

2. उपरोक्त सत्र विचारण की पत्रावली में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.09.2025 द्वारा अभियुक्तगण को विरचित आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया है।

3. प्रार्थी को धारा 344 दं0 प्र 0 सं0/383 बी.एन.एस.एस. के अधीन अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी की गयी। उपरोक्त प्रार्थी आज लोक अदालत में अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित आये जिनका बयान अंकित किया गया जिसमें उन्होने यह तथ्य स्वीकार किया है कि उसने उपरोक्त मामले में मिथ्या साक्ष्य दिया है।

4. इस प्रकार, उपरोक्त प्रार्थी द्वारा यह तथ्य स्वीकार कर लिया गया है कि उसने सत्र विचारण संख्या 488/2023 राज्य बनाम मचकुन्द गुर्जर उर्फ गौरव आदि मुकदमा अपराध संख्या 553/2021 धारा 498 ए, 304 बी भा.दं.सं. व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं धारा 302 भा.दं.सं. थाना अजीतमल जनपद औरैया निर्णीत दिनांक 01.09.2025 में बतौर क्रमशः अभियोजन साक्षी सं0 1 मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत किया है। इसलिए संस्वीकृति के आधार पर **अहिवरन** को मु0 1000/– के अर्थदण्ड से दण्डित करना न्यायोचित प्रतीत होता है। धारा 344 दं0 प्र 0 सं0/383 बी.एन.एस.एस. में मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए 3 माह अथवा अर्थदण्ड अथवा दोनों की सजा का प्राविधान है। ऐसी दशा में प्रार्थी को मु 0 1000/– के अर्थदण्ड किया जाना पर्याप्त होगा।

आदेश

प्रार्थी **अहिवरन सिंह** को **मु0 1000/– के अर्थदण्ड** से दण्डित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(पारूल जैन)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
औरैया।

Digitally signed by PARUL JAIN
Date: 2026.05.09 09:27:41 IST
Reason: Document Owner
Location: Additional District and Sessions Court-1, Auraiya